न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 251/17 (RCMS No.2017/00269) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

मीरादेवी पत्नि जगदीश जाति जाटव निवासी ग्राम खरगपुर तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत भदियाना पंचायत समिति धौलपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भदियाना पं.सं. सैंपऊ
2. शिवचरन पुत्र मिहीलाल जाति जाटव निवासी लक्ष्मणपुरी धनौली तहसील व जिला आगरा

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ दिनांक 20.07.2015 एवं नामा0 सं0 1931 ग्राम पंचायत भदियाना तह0 सैंपऊ

उपस्थितिः—

1. श्री दिनेश चन्द शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री पुरूषोत्तम मुदगल वकील रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण यदिनांकः—05.07.2018

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सैपऊ के निर्णय दिनांक 20.07.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 1931 निर्णय दिनांक 05.12.14 ग्राम खरगपुर तहसील सैपऊ द्वारा ग्राम पंचायत भदियाना तहसील सैंपऊ के विरूद्ध प्रस्तुत की है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामान्तरकरण संख्या 1931 ग्राम खरगपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर वयनामा दिनांक 16.10.2014 के आधार पर पटवारी द्वारा शिवचरन पुत्र मिहीलाल के स्थान पर मीरादेवी पत्नि जगदीश जाटव के नाम भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष पेश हुआ। सरपंच ग्राम पंचायत भदियाना ने प्रस्ताव सं0 1 के अनुसार नामान्तरकरण दिनांक 05.02.14 को अस्वीकार कर दिया। इस

आदेश के विरूद्ध मीरादेवी ने उप जिला कलक्टर सैंपऊ के न्यायालय में अपील पेश की। उप जिला कलक्टर सैंपऊ ने प्रकरण तहसीलदार सैपऊ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि नियमानुसार मौके एवं रिकार्ड की जांच कर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। दौराने जांच प्रकरण धारा 175 आरटीए का पाया जाता है तो नियमानुसार राज्यहित में सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का कथन है कि सरपंच ग्राम पंचायत भदियाना पंचायत समिति धौलपुर ने नामान्तरकरण संख्या 1931 पर प्रस्ताव संख्या 1 से अस्वीकार लिखते हुऐ दाखिल खारिज तस्दीक किया है उसमें कहीं भी यह अंकित नही किया है कि किस आधार पर नामान्तरकरण खारिज किया है, न ही कब्जे की बाबत् ही अंकित किया है कि खरीददार का कब्जा नही है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नही किया है। रैस्पो0 संख्या 1 ने आराजी मुतनाजा का बेचान अपीलान्ट के हक में जरिये रजिस्टर्ड वयनामा से कियाहै। उसमें स्पष्ट अंकित है कि कब्जा व दखल आज भी मौके पर आराजी मुवईया पर खरीददार मजकूर का करा दिया है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय एवं ग्राम पंचायत ने मौका ही नही देखा है और न ही मौका रिपोर्ट ही प्राप्त की है। महज कयास के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने से ही निर्णय पारित किया है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि शिवराज सिंह पुत्र पदम सिंह जाति गुर्जर को अनुसूचित जाति की आराजी पर किसी भी नियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है, फिर भी तहसीलदार सैपऊ को पुनः जॉच के लिये आदेश दिया जाना अवैधानिक है। नामा0 पर पटवारी हल्का व गिरदावर ने रिपोर्ट कर रखी है कि अंकन सही है फिर रिकार्ड की क्या जॉच होनी है। वयनामा के आधार पर कब्जा क्रेता को दिया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं0 1 ग्राम पंचायत भदियाना पंचायत समिति धौलपुर का तर्क है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नही है। ग्राम पंचायत ने मौके की जॉच करवायी थी। जिसमें ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव सं0 1 में यह निर्णय लिया था कि मौके पर क्रेता का कब्जा नही है इसलिये नामा0 दर्ज नही किया जावे। इसी आधार पर नामान्तरकरण अस्वीकार किया गया था। उनका यह भी तर्क है कि शिवचरन बिक्रेता ने रामफूल के नाम बेचान का एग्रीमेन्ट किया था। इसके बाद उसने मीरादेवी को बेचान कर दिया जबकि मीरादेवी को बिक्रय नही किया जा सकता था। इस संबंध में सिविल न्यायालय में दावा विचाराधीन है। जब तक सिविल न्यायालय से कोई निर्णय नही हो जाता तब तक इस अपील पर कोई कार्यवाही नही की जा सकती है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नही है किसी अन्य का कब्जा है। इसीलिये ही ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण खारिज किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को जॉच कर निर्णय के लिये रिमाण्ड किया है। तहसीलदार द्वारा जॉच कर निर्णय किया जाना है। अपील के माध्यम से उन्हें कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अपीलान्ट का आराजी पर कब्जा नही होने से ग्राम पंचायत जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी ख0 नं0 1008 रकवा 2 बीघा 18विस्वा वॉके ग्राम खरगपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर का खातेदार शिवचरन पुत्र मिहीलाल जाति जाटव था। अपीलान्ट ने उक्त खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 16.10.2014 विवादित आराजी क्रय की थी। वयनामा में स्पष्ट अंकन किया गया है कि कब्जा व दखल आज ही मौके पर अपने आराजी मुवईया पर खारीदार मजकूर का करा दिया है। इससे स्पष्ट है कि वयनामा के दिन ही बिक्रेता ने क्रेता को कब्जा दे दिया था। इसलिये यह नही माना जा सकता कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट क्रेता का कब्जा नही है। ग्राम पंचायत को वयनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। जैसाकि 2011 आरबीजे (18) 88 में माननीय राजस्व मण्डल ने सिद्धान्त पारित किया है। माननीय उच्चम न्यायालय राजस्थान ने 2007 आरबीजे (14) 372 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का कब्जा नही माना जाना उचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा हर दो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय क्रमशः 05.02.2014 एवं 20.07.2015 निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार सैंपऊ को निर्देश दिये जाते हैं कि वयनामा के आधार पर नियमानुसार नामान्तरकरण कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक05.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official